

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 57 /2025 दिनांक 05.02.2025

डॉ. सरोज कुमारी चौधरी (RJ01088), अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-14, जयपुर महानगर-प्रथम (सांगानेर) को दिनांक 10.02.2025 से 21.02.2025 तक 12 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 08.02.2025 से 09.02.2025 एवं 22.02.2025 से 23.02.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. चौधरी की अनुपस्थिति में अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-17, जयपुर महानगर-प्रथम (सांगानेर) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-14, जयपुर महानगर-प्रथम (सांगानेर) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
05/2/25

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/76/2016/1691

दिनांक 05.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम को उनके पत्रांक 298 दिनांक 10.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. डॉ. सरोज कुमारी चौधरी (RJ01088), अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-14, जयपुर महानगर-प्रथम (सांगानेर)।
4. अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-14, जयपुर महानगर-प्रथम (सांगानेर)।
5. अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-17, जयपुर महानगर-प्रथम (सांगानेर)।

सहायक रजिस्ट्रार
5/2/25